न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 08 / 2025

आई.सी.आई. बैंक लि0 बैंक, तृतीय तल, एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1– सुभाष (ऋणी)
पता 1– अशोक विहार, वार्ड नम्बर–1 भरतपुर राज0 321001
पता 2– प्लाट नंबर –57, सुभाष रगर कॉलोनी भरतपुर
पता 3–सुभाष चंद ट्रेडिंग कंपनी गोलपुर रोड़, भरतपुर राज़0 321001

..........अप्रार्थी / ऋणी

2– विनोद कुमार (सह–ऋणी)
पता 1– 422, अशोक विहार, वार्ड नम्बर–1 भरतपुर राज0 321001
पता 2– प्लाट नंबर –57, योजना सुभाष रगर कॉलोनी भरतपुर,

.....अप्रार्थी.गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश **दिनांक 28.02.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 30.07.2015 को जरिए ऋण खाता LBBRT 00002422406 में ऋण राशि 707634/– रुपये ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपना प्लाट नं. 57 सुभाष नगर कॉलोनी फेज –2 विलेज भरतपुर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 157.80 वर्ग फीट जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व में –प्लाट नंबर–56, पश्चिम में– प्लाट नंबर–58, उत्तर में–30 फीट चौडी रोड, दक्षिण में –प्लाट नंबर–47, स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 29–05–2024 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.07.24 तक कुल बकाया राशि 768528/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30–07–2024 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 30–07–2024 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति जो कि अप्रार्थी0 ने अपना प्लाट नं. 57 सुभाष नगर कॉलोनी फेज –2 विलेज भरतपुर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 157.80 वर्ग फीट जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व में –प्लाट नंबर–56, पश्चिम में–

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 08 / 2025
आई.सी.आई. बैंक लि0 बैंक बनाम सुभाष वगे.

प्लाट नंबर–58, उत्तर में–30 फीट चौडी रोड, दक्षिण में –प्लाट नंबर–47, स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भैातिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर